



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102020-222200  
CG-DL-E-01102020-222200

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]  
No. 501]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 1, 2020/आश्विन 9, 1942  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2020/ASVINA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2020

सं. 73/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 613(अ).—सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिन्हें केंद्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत निर्दिष्ट तरीके से बीजक तैयार करना हैं, परंतु उन्होने उक्त तरीके के अलावा अन्य तरीके से बीजक तैयार किया है, ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो 1 अक्टूबर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 की अवधि के दौरान विशेष प्रक्रिया का पालन करेंगे, उक्त व्यक्ति ऐसे बीजक की तारीख से तीस दिनों के भीतर, सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर प्रारूप जीएसटी आईएनवी-01 में निर्दिष्ट विवरण अपलोड करके ऐसे बीजक के लिए एक बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन) प्राप्त करेंगे एवं ऐसा ना करने पर वह बीजक मान्य नहीं माना जाएगा।

[फा. सं. सीबीईसी-20/16/09/2019-जीएसटी (भाग -1)]

प्रमोद कुमार, निदेशक

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2020

**No. 73/2020-Central Tax**

**G.S.R. 613(E).**—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1<sup>st</sup> day of October, 2020 to the 31<sup>st</sup> day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in **FORM GST INV-01** on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

[F. No. CBEC 20/16/09/2019-GST (Part-I)]

PRAMOD KUMAR, Director